ग्राम पंचायत चन्दपुर, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत चन्दपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधानः-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कमला देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दलजीत सिंह	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री प्रवीण कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत चन्दपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	2.68
2.	4.3	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	6.74
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.62
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.47
5.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	0.22
6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.55
7.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	0.79
8.	8.4	मूल बिल अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	1.86
9.	9.1	मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के मस्टर रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना	3.21
10.	10.3	विवाह पंजीकरण से प्राप्त शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.05

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत चन्दपुर, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/234 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.06.2024 से 25.06.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	01/2023	05/2022
2023-24	02/2024	02/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 07/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 234 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 16/2024 दिनांक 11.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	125076.64	403957.00	529033.64	276358.00	252675.64
2023-24	252675.64	443610.00	696285.64	436034.00	260251.64

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1948713.32	2805522.00	4754235.32	2565806.00	2188429.32
2023-24	2188429.32	2598524.00	4786953.32	3024771.00	1762182.32

कुल योग (1+2) = 260251.64 + 1762182.32 = **2022433.96**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹20,22,433.96** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹22,90,251.32 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.23 को
1	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)	KCCB पालमपुर	20141006592	258962.64

2	सांसद निधि (MPLAD)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001125	17345.64
3	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (LADA)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001032	289668.64
4	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001135	28730.00
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001142	309960.64
6	अटल आवास योजना (AAY)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001090	0.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	HDFC बैंक पालमपुर	50100465243726	13415.30
8	पंचायत समिति (PS)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001118	39510.64
9	जिला परिषद (ZP)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001152	3232.64
10	14 वां वित्त आयोग (14TH FC)	HDFC बैंक पालमपुर	50100148209094	4136.18
11	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)	ICICI बैंक पालमपुर	093601000720	1323016.00
12	हस्तगत शेष (स्वः स्त्रोत)			2273.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग :			2290251.32
	दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः-			**2290251.32**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा 4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**2022433.96**
	अंतर :-			**267817.36**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹2.68 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः-

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹2,67,817.36** की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 232 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोला जाएगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण के लिये खाता-ख खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्वः-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था, बल्कि स्वः-स्त्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने सम्बन्धी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)	KCCB पालमपुर	20141006592

2	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (LADA)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001032

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना व स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 232 दिनांक 25.06.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा और स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और सभा निधि, 5वां राज्य वित्त, क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना व स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में ₹6.74 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

ANNUAL REPORT

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online)दोनों माध्यम से किया जा रहा है तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहें है, वे बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते। परिणामस्वरूप

राशि **₹6,73,876.38** का बहुत ज्यादा अंतर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है, जिसका विवरण **परिशिष्ट - "घ"** पर संलग्न एवं निम्नलिखित है:-

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA) :-

वित्तीय वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि	ई-ग्राम स्वराज अनुसार राशि	रोकड़ बही अनुसार राशि	अंतर की राशि
2022-23	₹24,13,364.00	₹23,99,516.00	₹13,848.00	₹17,22,709.00	₹20,32,201.00	₹3,09,492.00
2023-24	₹17,99,035.00	₹18,80,230.00	₹81,195.00	₹22,90,944.00	₹22,98,901.00	₹7,957.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA) :-

वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
2023-24	2946777.70 + 17350 (हस्तगत नगद) = 2964127.70	2287978.32 + 2273 (हस्तगत नगद) = 2290251.32	**₹ 6,73,876.38**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 232 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व अंतर का मिलान करने उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अन्तर के कारणों बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 232 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹17.62 लाख का अवरोधन :-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 16/2024 दिनांक 11.06.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - "क"** व **परिशिष्ट - "ख"** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹17,62,182.32** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 232 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए यथास्थिति इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.47 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/चन्दपुर दिनांक 19.06.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 228 दिनांक 19.06.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50/- प्रति परिवार व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹47,490.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.2024 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - "ङ"** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि केवल वर्ष 2022-23 तक ही मांग व संग्रहण पंजिका का अद्यतन किया गया था व वर्ष 2023-24 में इसका अद्यतन नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके।

संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष (₹)	कुल परिवार (₹)	गृहकर वार्षिक दर(₹)	मांग(₹)	योग (कालम 2+5)(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7) (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	31,190.00	452	50.00	22,600.00	53,790.00	50,950.00	2,840.00
2023-24	2,840.00	462	100.00	46,200.00	49,040.00	1,550.00	47,490.00

उक्त तालिका में वर्णित आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 232 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.22 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि:-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-

डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 02/2024 के बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - "च"** पर संलग्न विवरणानुसार **₹22,187.00** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 233 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹ 22,187.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Nonferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹3.55 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 3,54,823.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 233 दिनांक 25.06.2024 द्वारा बताया गया कि समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व अब नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर नियमानुकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता को वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹0.79 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 02/2024 के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹78,542.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज"** में दिया गया था, जिससे स्टोर/स्टॉक के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 233 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.4 राशि ₹1.86 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) को सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रारूप बिल (Proforma Bill) के आधार पर **₹1,85,847.00** राशि की सोलर लाइटों का क्रय हिमऊर्जा से किया गया था व निम्न विवरण अनुसार इस भुगतान से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए :-

क्रम संख्या/ अनुदान	वाउचर संख्या/ दिनांक	विवरण	आपूर्तिकर्ता	राशि (₹)
1. 15th FC	XVFC/2023-24/P/65 Dt 09.02.2024	Supply, installation and commissioning of SPV Street Lighting systems 12 Watt LED	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹14,805 x 10 no.)	**148050.00**
2. 15th FC	XVFC/2023-24/P/66 Dt 09.02.2024	Supply, installation and commissioning of SPV Street Lighting systems 9 Watt LED	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹12,599 x 01 no.)	**12599.00**
3. 15th FC	XVFC/2023-24/P/67 Dt 09.02.2024	Supply, installation and commissioning of SPV Street Lighting systems 9 Watt LED	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹12,599 x 01 no.)	**12599.00**
4. 15th FC	XVFC/2023-24/P/68 Dt 09.02.2024	Supply, installation and commissioning of SPV Street Lighting systems 9 Watt LED	H.P. Govt. Energy Development Agency (हिमऊर्जा) (₹12,599 x 01 no.)	**12599.00**
			कुल	**185847.00**

ANNUAL REPORT

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 233 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हिमऊर्जा द्वारा मूल बिल प्रदान नहीं किया गया है जिस कारण मांगे गए मूल बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर सम्बन्धित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर मूल बिल प्राप्त कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.5 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 05/2022 के दौरान बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है:-

क्र० स०	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2022-23	05/2022	**3,79,199.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 233 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

ANNUAL REPORT

9. मस्ट्रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

9.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹3.21 लाख के मस्ट्रोलों को जारी करने के रजिस्टर में प्रविष्टि न करना, मस्ट्रोल का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्ट्रोल का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्ट्रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मस्ट्रोलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹3,20,584.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " झ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 233 दिनांक 25.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार मस्ट्रोल को रजिस्टर में प्रविष्टि कर जारी किया जाएगा, मस्ट्रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन कर और संयुक्त अदायगी आदेश के साथ ही मस्ट्रोल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा था। उदाहरणार्थ: ऊपर वर्णित **पैरा संख्या 9.1**, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

ANNUAL REPORT

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत नियमानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹4,725.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/मैन्झा दिनांक 21.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 230 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष

में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को पूर्व वर्णित प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्य पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जिससे हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	निवेश रजिस्टर	12	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
5.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
6.	तकनीकी जांच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आंकलन का रजिस्टर	95(1)	31
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/चन्दपुर दिनांक 20.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 229 दिनांक 20.06.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत

करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/चन्दपुर दिनांक 25.06.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 233 दिनांक 25.06.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. **निष्कर्ष** :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

25 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

4632–4636 का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)421/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत चन्दपुर, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 SEP 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " ५(क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP CHANDPUR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	125076.64	403957.00	529033.64	276358.00	252675.64
2023-24	252675.64	443610.00	696285.64	436034.00	260251.64

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1948713.32	2805522.00	4754235.32	2565806.00	2188429.32
2023-24	2188429.32	2598524.00	4786953.32	3024771.00	1762182.32

Secretary
Gram Panchayat Chandpur
Block Bhawang

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " ५(ङ)" के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP CHANDPUR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	MPLAD	2022-23	16339.64	495.00	16834.64	0.00	16834.64
		2023-24	16834.64	511.00	17345.64	0.00	17345.64
2	SDP/LADA	2022-23	124753.64	254289.00	379042.64	173291.00	205751.64
		2023-24	205751.64	600804.00	806555.64	516887.00	289668.64
3	SDRF	2022-23	336913.00	253491.00	590404.00	434868.00	155536.00
		2023-24	155536.00	107637.00	263173.00	234443.00	28730.00
4	VKVNY	2022-23	75530.64	107724.00	183254.64	97402.00	85852.64
		2023-24	85852.64	501902.00	587754.64	277794.00	309960.64
5	AAY	2022-23	796.64	18.00	814.64	0.00	814.64
		2023-24	814.64	18.00	832.64	0.00	832.64
6	RGSA	2022-23	25916.30	127298.00	153214.30	132631.00	20583.30
		2023-24	20583.30	536.00	21119.30	7700.00	13419.30
7	PS	2022-23	35017.64	41375.00	76392.64	0.00	76392.64
		2023-24	76392.64	2318.00	78710.64	39200.00	39510.64
8	ZP	2022-23	6675.64	352.00	7027.64	3890.00	3137.64
		2023-24	3137.64	95.00	3232.64	0.00	3232.64
9	14TH FC	2022-23	130976.18	1710.00	132686.18	128763.00	3923.18
		2023-24	3923.18	213.00	4136.18	0.00	4136.18
10	15TH FC	2022-23	1195794.00	1208807.00	2404601.00	784998.00	1619603.00
		2023-24	1619603.00	222586.00	1842189.00	786843.00	1055346.00
11	MGNREGA	2022-23	0.00	809963.00	809963.00	809963.00	0.00
		2023-24	0.00	1161904.00	1161904.00	1161904.00	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " ग " पैरा संख्या " ५(ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत चन्दपुर, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176061

ग्राम पंचायत चन्दपुर के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (SF)/ 5 वां राज्य वित्त (5TH STATE)	KCCB पालमपुर	20141006592	258962.64	260251.64
2	सांसद निधि (MPLAD)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001125	17345.64	17345.64
3	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)/स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (LADA)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001032	289668.64	289668.64
4	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001135	28730.00	28730.00
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001142	309960.64	309960.64
6	अटल आवास योजना (AAY)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001090	0.00	832.64
7	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (RGSA)	HDFC बैंक पालमपुर	50100465243726	13415.30	13419.30
8	पंचायत समिति (PS)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001118	39510.64	39510.64
9	जिला परिषद (ZP)	HDFC बैंक पालमपुर	17361450001152	3232.64	3232.64
10	14 वां वित्त आयोग (14TH FC)	HDFC बैंक पालमपुर	50100148209094	4136.18	4136.18
11	15 वां वित्त आयोग (15TH FC)	ICICI बैंक पालमपुर	093601000720	1323016.00	1055346.00
			जोड़ (क)	2287978.32	2022433.96
			हस्तगत शेष (ख)	2273.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	2290251.32	2022433.96

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	2290251.32
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	2022433.96
अंतर :-	267817.36

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट " घ ", पैरा संख्या " 4.3 " के संदर्भ में)

ग्राम पंचायत चन्दपुर द्वारा ई-ग्राम स्वराज में रोकड़ बही का अनियमित अद्यतन के कारण ई-ग्राम स्वराज में संधारित लेखों तथा हस्तलिखित लेखों के आंकड़ों में ₹6.74 लाख का अंतर

(क) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर
1	2022-23	₹ 24,13,364.00	₹ 23,99,516.00	₹ 13,848.00	₹ 17,22,709.00	₹ 20,32,201.00	₹ 3,09,492.00
2	2023-24	₹ 17,99,035.00	₹ 18,80,230.00	₹ 81,195.00	₹ 22,90,944.00	₹ 22,98,901.00	₹ 7,957.00

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	2946777.70 + 17350 (हस्तगत नगद) = 2964127.70	2287978.32 + 2273 (हस्तगत नगद) = 2290251.32	₹ 6,73,876.38

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

(परिशिष्ट "ड." "पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत चन्दपुर, वि०ख०भवारना, ज़िला काँगड़ा हि. प्र. 176061

दिनांक 31-03-2024को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 452 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार तथा 2023-24 में 462 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 31,190.00	452	₹ 50.00	₹ 22,600.00	₹ 53,790.00	₹ 50,950.00	₹ 2,840.00
2023-24	₹ 2,840.00	462	₹ 100.00	₹ 46,200.00	₹ 49,040.00	₹ 1,550.00	₹ 47,490.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि ₹47490/- है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

25

33

परिशिष्ट " प ", पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत चन्दपुर द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹0.22 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (cft)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
	क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)									
1	M/S संसार चंद एंड	57/26.02.2024	3342/03.02.2024	क्रेशर	250	7.08	1.52	10.76	80	860.80
				रेत	150	4.25	1.62	6.88	80	550.40
				गटका	100	2.83	2.24	6.34	80	507.20
				बोल्डर	200	5.66	2.24	12.69	80	1015.20
2	M/S संसार चंद एंड	58/26.02.2024	3340/01.02.2204	क्रेशर	400	11.33	1.52	17.22	80	1377.60
				रेत	220	6.23	1.62	10.09	80	807.20
	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)									
3	M/S संसार चंद एंड	55/26.02.2024	3343/04.02.2204	Aggregate	400	11.328	1.52	17.22	80	1377.60
				रेत	270	7.647	1.62	12.39	80	991.20
	मनरेगा									
4	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	156/01.02.2022	रेत	70	1.982	1.62	3.21	80	256.80
5	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	153/01.02.2022	क्रेशर	150	4.248	1.52	6.46	80	516.80
6	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	154/01.02.2022	रेत	70	1.982	1.62	3.21	80	256.80
7	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	155/01.02.2022	रेत	70	1.982	1.62	3.21	80	256.80
8	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	152/01.02.2022	क्रेशर	150	4.248	1.52	6.46	80	516.80
9	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	151/01.02.2022	क्रेशर	150	4.248	1.52	6.46	80	516.80
10	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	078/06.01.2022	क्रेशर	700	19.824	1.52	30.13	80	2410.40
11	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	079/06.01.2022	रेत	350	9.912	1.62	16.06	80	1284.80
12	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	075/06.01.2022	रेत	250	7.080	1.62	11.47	80	917.60
13	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	074/06.01.2022	क्रेशर	350	9.912	1.52	15.07	80	1205.60
14	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	076/06.01.2022	क्रेशर	350	9.912	1.52	15.07	80	1205.60
15	O.P.S Enterprises	NIL/17.5.2022	077/06.01.2022	रेत	250	7.080	1.62	11.47	80	917.60
									Total	17749.60
									Panelity @ 25 %	4437.40
									कुल राशी	22187.00

Pawan Kumar
(Pawan Kumar)
तकनीकी सहायक
ग्राम पंचायत Chandpur
विकास खण्ड Bhawarna
जिला कांगड़ा

Praveen Kumar
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत चंदपुर
विकास खण्ड भवारना
जिला कांगड़ा

दलजीत सिंह
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

26

परिशिष्ट " Co ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत चन्दपुर द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹3.55 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी GST सहित	टिप्पणी
			सभा निधि (Own Source)					
1	सोनी टैंट एंड कैटरस	65/29.02.2024	042/15.02.2024	तिरपाल	1	1500	₹ 1,500.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				टैंट	5	300	₹ 1,500.00	
				मैटस	10	150	₹ 1,500.00	
				कुर्सी	100	5	₹ 500.00	
				टेबल	5	50	₹ 250.00	
				ढुलाई जीप से	1	800	₹ 800.00	
			क्षेत्रिय विकेंद्रीकृत योजना (SDP)					
2	M/S संसार चंद एंड संस	57/26.02.2024	3342/03.02.2024	क्रेशर	250	60	₹ 15,000.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
				रेत	150	60	₹ 9,000.00	
				गटका	100	60	₹ 6,000.00	
				बोल्डर	200	47	₹ 9,400.00	
3	M/S संसार चंद एंड संस	58/26.02.2024	3340/01.02.2204	क्रेशर	400	60	₹ 24,000.00	
				रेत	220	60	₹ 13,200.00	
			पंचायत समिति (PS)					
4	मदर्शी राम	60/26.02.2024	192/23.02.2024	ग्राउन्ड कटिंग JCB	35	1000	₹ 39,200.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
			मनरेगा					
5	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	156/01.02.2022	रेत	70	43	₹ 3,010.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
6	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	153/01.02.2022	क्रेशर	150	43	₹ 6,450.00	
7	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	154/01.02.2022	रेत	70	43	₹ 3,010.00	
8	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	155/01.02.2022	रेत	70	43	₹ 3,010.00	
9	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	152/01.02.2022	क्रेशर	150	43	₹ 6,450.00	
10	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	151/01.02.2022	क्रेशर	150	43	₹ 6,450.00	
11	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	078/06.01.2022	क्रेशर	700	43	₹ 30,100.00	
12	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	079/06.01.2022	रेत	350	43	₹ 15,050.00	
13	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	075/06.01.2022	रेत	250	43	₹ 10,750.00	
14	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	074/06.01.2022	क्रेशर	350	43	₹ 15,050.00	
15	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	076/06.01.2022	क्रेशर	350	43	₹ 15,050.00	
16	M/S O.P.S. इंटरप्राइज़ेस	NIL/17.5.2022	077/06.01.2022	रेत	250	43	₹ 10,750.00	
		विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)						
13	मैनी इलेक्ट्रानिक्स	52/08.02.2024	10504/26.11.2023	N- 151 नूपुर प्लास्टिक कुर्सी	33	420	₹ 13,860.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				प्लास्टिक टेबल	1	640	₹ 640.00	
				ढुलाई	1	500	₹ 500.00	
14	मैनी इलेक्ट्रानिक्स	53/08.02.2024	10489/21.11.2023	नूपुर प्लास्टिक कुर्सी	24	600	₹ 14,400.00	
				ढुलाई	1	600	₹ 600.00	
15	बटाला क्लॉथ हाउस	54/16.02.2024	3945/28.09.2023	चादर (mts)	60	50	₹ 3,000.00	
16	M/S संसार चंद एंड संस	55/26.02.2024	3343/04.02.2204	Aggregate	400	60	₹ 24,000.00	एक ही अखबार में विज्ञापन दिया गया है
				रेत	270	60	₹ 16,200.00	
		स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (LADA)						
17	कुलदीप वैल्डिंग वर्क्स	56/26.02.2024	127/15.02.2024	02 खिड़की 3'x4'	137.4	110	₹ 15,114.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
				खिड़की 5'x4'	107.2	110	₹ 11,792.00	
				दरवाजा	56.7	110	₹ 6,237.00	
				लदाई उतराई	1	1500	₹ 1,500.00	
						कुल राशि	₹ 3,54,823.00	

Pawan Kumar
तकनीकी सहायक
ग्राम पंचायत Chandpur
विकास खण्ड Bhawarna
जिला कांगड़ा

दलजीत सिंह
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 8.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत चन्दपुर द्वारा क्रय किये गये राशी ₹0.79 लाख की सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी GST सहित
	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)						
1	मैनी इलेक्ट्रानिक्स	52/08.02.2024	10504/26.11.2023	N- 151 नूपुर प्लास्टिक कुर्सी	33	420	₹ 13,860.00
				प्लास्टिक टेबल	1	640	₹ 640.00
2	मैनी इलेक्ट्रानिक्स	53/08.02.2024	10489/21.11.2023	नूपुर प्लास्टिक कुर्सी	24	600	₹ 14,400.00
3	बटाला क्लॉथ हाउस	54/16.02.2024	3945/28.09.2023	चादर (mts)	60	50	₹ 3,000.00
4	M/S अनंत राम हरीश चंद्र	54/16.02.2024	8144/03.10.2023	03 पतीले (Kgs)	10.57	325	₹ 3,845.66
				गिलास S.S.	100	35	₹ 3,920.00
				कुकर 12 ltr	1	1690	₹ 1,892.00
				हवन कुंड	10.61	150	₹ 1,781.64
				जग स्टील	2	250	₹ 560.00
	स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण (LADA)						
5	कुलदीप वैल्डिंग वर्क्स	56/26.02.2024	127/15.02.2024	02 खिड़की 3'x4'	137.4	110	₹ 15,114.00
				खिड़की 5'x4'	107.2	110	₹ 11,792.00
				दरवाजा	56.7	110	₹ 6,237.00
				लदाई उतराई	1	1500	₹ 1,500.00
						कुल राशि	₹ 78,542.30

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

परिशिष्ट " ड " , पैरा संख्या " 9.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत चन्दपुर द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹3.21 लाख के मस्टर रोलों को भुगतान हेतु पारित न करना, निर्माण एवं सतर्कता कमेटी द्वारा सत्यापन न करना, और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोलों का भुगतान का विविरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	निर्माण क्रेट वर्क नजदीक श्मशान घाट वार्ड नं 1	6115	Nil/19.05.22	₹ 1,000.00
		5843	Nil/29.05.22	₹ 935.00
2	निर्माण PMAY-G घर HP105335397	181	Nil/04.05.22	₹ 7,070.00
3	निर्माण जीप रोड मेन रोड से कुलानी प्राथमिक पाठशाला की ओर	182	Nil/04.05.22	₹ 21,492.00
		183	Nil/04.05.22	₹ 10,547.00
4	निर्माण जीप रोड मेन रोड से सरीन के घर की ओर	184	Nil/04.05.22	₹ 10,908.00
		580	Nil/19.05.22	₹ 6,090.00
		6120	Nil/19.05.22	₹ 1,200.00
5	निर्माण जीप रोड खिल से परमा राम के घर की ओर वार्ड नं 1	185	Nil/04.05.22	₹ 10,759.00
		186	Nil/04.05.22	₹ 5,278.00
6	अपबर्धन श्मशान घाट वार्ड नं 4	317	Nil/04.05.22	₹ 4,669.00
		318	Nil/04.05.22	₹ 406.00
		574	Nil/21.05.22	₹ 6,880.00
		575	Nil/21.05.22	₹ 5,760.00
7	पौधारोपन मणि राम और अनिल कुमार की ज़मीन पर वार्ड नं 3	319	Nil/06.05.22	₹ 20,200.00
		320	Nil/06.05.22	₹ 5,000.00
		576	Nil/19.05.22	₹ 21,255.00
		577	Nil/19.05.22	₹ 6,435.00
8	निर्माण सुरक्षा दीवार अनिल कुमार, सुभाष चंद और बबलू राम की ज़मीन पर वार्ड नं 3	321	Nil/05.05.22	₹ 19,190.00
		322	Nil/05.05.22	₹ 8,080.00
		578	Nil/19.05.22	₹ 19,600.00
		579	Nil/19.05.22	₹ 8,600.00
9	पौधारोपन सुरिंदर भाटिया की ज़मीन पर वार्ड नं 4	4078	Nil/06.02.24	₹ 6,600.00
10	पौधारोपन सतीश कुमार की ज़मीन पर वार्ड नं 2	4079	Nil/06.02.24	₹ 19,665.00
11	निर्माण बाड़ से सुरक्षा हेतु डंगें गाँव खपलोटा वार्ड नं 2	4417	Nil/22.02.24	₹ 11,766.00
		4418	Nil/22.02.24	₹ 5,106.00
12	निर्माण क्रेट वर्क सोभी देवी की ज़मीन पर वार्ड नं 5	4419	Nil/22.02.24	₹ 22,400.00
		4420	Nil/22.02.24	₹ 4,600.00
13	भूमि विकास सुमेर सिंह सुपुत्र राजिंदर पाल की ज़मीन वार्ड नं 4	4421	Nil/06.02.24	₹ 12,880.00
14	भूमि विकास केवली देवी, राजिंदर कुमार, संदीप कुमार की ज़मीन वार्ड नं 3	4422	Nil/22.02.24	₹ 12,045.00
15	भूमि विकास बाबू राम, रमेश कुमार, सुरिंदर कुमार की ज़मीन वार्ड नं 1	4423	Nil/22.02.24	₹ 15,900.00
		4424	Nil/22.02.24	₹ 8,268.00
			कुल जोड़	**₹ 3,20,584.00**

Pawan Kumar
तकनीकी सहायक
ग्राम पंचायत Chandpur
विकास खण्ड Bhawarna
जिला कांगड़ा

Praveen Kumar
ग्राम रोजगार सेवक
ग्राम पंचायत चंदपुर
विकास खण्ड भवारना
जिला कांगड़ा

पंचायत सचिव दलजीत सिंह
ग्राम पंचायत चन्दपुर
वि० ख० भवारना त० पालमपुर
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)

29